GCMS No ..2021/000037

	पत्रावली आयंदा दिनांक 11/1/22 को पेश हो ACJM
11/1/22	वकील वादी उप०। शहादतवादी पेश करने का समय चाहते हैं, दिया जाता है। Noted करवाया गया। आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली आयंदा दिनांक 22/2/22 को पेश हो। ACJM
22/2/22	वकील वादी उप०। शहादतवादी पेश करने का समय चाहते हैं। पूर्व में अनेकानेक अवसर देने व Noted करवाने के पश्चात भी आज दिनांक तक शहादतवादी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं न्यायहित में एक अन्तिम अवसर और दिया जाता है आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली आयंदा दिनांक 22/3/22 को पेश हो। ACJM
22/3/22	पत्रावली पेश हुई आज A.C (F.T.) साहब दौरे /अवकाश/दिगर कार्य में व्यस्त होने से /वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयंदा दिनांक 18/4/2022 को पेश हो।
18/4/22	पत्रावली पेश हुई आज A.C (F.T.) साहब दौरे /अवकाश/दिगर कार्य में व्यस्त होने से /वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयंदा दिनांक 24/5/2022 को पेश हो।
24/5/22	वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्रा०पत्र बाबत "वादीगण को बतौर गवाह पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त गवाहान को [illegible]" हेतु पेश किया शा.के. हो। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने उक्त प्रा०पत्र में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	GCMS No. 2021/00037 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
	कथन किया है कि" वादिनी की ओर से अदालत श्रीमान के समक्ष वादपत्र पेश होने के उपरान्त दौरान वाद विचारण प्रतिवादी सरकार 02 द्वारा जरिये नामान्तरकरण के क्रम हिस्सेदारों के नाम भी राजस्व रिकार्ड से छोड़ते हुये अलग अलग हिस्से अपनी मनमर्जी से गलत दर्ज कर दिये हैं जिन्हें दुरस्त करवाना बहुत आवश्यक है इसलिये वर्तमान परिस्थितियों से वादिनी अपने हिस्से दुरस्त करवाने के उपरान्त अपनी अर्जी का दावा करवाना चाहती है इस वादिनी अपने इस वादपत्र को नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये विड्रो करने का निवेदन किया है। पत्रावली का दस्तावेज प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया। वकील वादी की दलीलों पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आलोक में वादी को नवीन वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये इस वादपत्र को जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला अनुसार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील बाबत दाखिल दफ्तर लेखा/अभिलेखागार किया जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested